झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0 :– 10 / स्था0–01–07 / 2022– 4775   रांची, दिनांक– 25/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0–05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित **श्री अरूण कुमार मेहता (कोटि–BC-II), पिता– श्री बिनोद मेहता, स्थायी पता– ग्रामा–सरगरा टोला नावाडीह, थाना–हैदरनगर, जिला–पलामू, झारखण्ड** को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300–34800/– ग्रेड पे0– 5400/– सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0– मैट्रिक्स लेवल–09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्त्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने–देने के संबंध में शपथ–पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल–अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण–पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक / फौजदारी / न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण–पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति / पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
10. आपकी नियुक्ति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0– LPA No.- 292/2022 में पारित न्यायादेश से अच्छादित / प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
25/11/22

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 10/स्था0–01–07/2022– 4776 रांची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 10/स्था0–01–07/2022– 4776 रांची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रांची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, योजना–सह–वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 10/स्था0–01–07/2022– 4776 रांची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख कोषांग/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा–शाखा/संबंधित पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 10/स्था0–01–07/2022– 4776 रांची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 10/स्था0–01–07/2022– 4776 रांची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपि :– श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक, आई0टी0, पी0एम0यू0/श्री फैज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को विभागीय वेबसाईट एवं ई–गजट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव